प्रेस विज्ञप्ति

30.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने सौरभ शर्मा और अन्य के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जिलों में स्थित विभिन्न परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.12.2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी में सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और रोहित तिवारी सहित प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे, जो अपराध की आय (पीओसी) के संदिग्ध लाभार्थी थे, या कथित तौर पर उसी के शोधन में शामिल थे।

ईडी ने लोकायुक्त, विशेष पुलिस स्थापना भोपाल एमपी द्वारा पीसी अधिनियम 1988 (जैसा कि 2018 में संशोधित) की धारा 13 (1) (बी), 13 (2) के तहत सौरभ शर्मा, सेवानिवृत्त कांस्टेबल, परिवहन विभाग, भोपाल, एमपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर की जांच से पता चला कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों और संबंधित फर्मों/कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है।

पीएमएलए के तहत की गई जांच के दौरान बैंक खातों और संपत्तियों का विवरण सामने आया। उनके विश्लेषण से पता चला कि सौरभ शर्मा ने अपने परिवार के सदस्यों/मित्रों/कंपनियों के नाम पर कई संपत्तियां खरीदी हैं, जिनमें उनके करीबी सहयोगी निदेशक थे। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में 8 परिसरों में की गई तलाशी की कार्यवाही के दौरान सौरभ शर्मा के सहयोगी चेतन सिंह गौर के नाम पर 6 करोड़ रुपये से अधिक की सावधि जमा (एफडी) के रूप में चल संपत्ति की पहचान की गई और सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक बैलेंस पाया गया। इसके अलावा, सौरभ शर्मा की विभिन्न कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 23 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। तलाशी कार्रवाई से पता चला कि ऐसी संपत्तियां सौरभ शर्मा द्वारा परिवहन विभाग में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत रहते हुए भ्रष्ट आचरण के माध्यम से प्राप्त अवैध धन से कथित रूप से खरीदी/अर्जित की गई थीं।

इससे पहले एक अलग कार्रवाई में, सौरभ शर्मा के करीबी सहयोगी चेतन सिंह गौर के वाहन से आयकर विभाग, भोपाल द्वारा 52 किलोग्राम वजन की सोने की ईंट और 11 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई थी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।